रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 5, 2006/वैशाख 15, 1928
No. 192] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 5, 2006/VAISAKHA 15, 1928

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2006

सा.का.नि. 273(अ).—केन्द्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के,—

(क) (i) उप-नियम (1) में, (i) "150" अंकों के स्थान पर "35" अंक रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ग) अनुसूची 1 में यथा-वर्णित प्रत्येक क्षेत्र से, राज्यों के उपभोक्ता मामलों के दो प्रभारी मंत्री, जो प्रत्येक अवसर पर, परिषद् की अवधि के अवसान पर, चक्रानुक्रम से परिवर्तित किए जाएंगे;

(गक) अनुसूची 2 में यथा-वर्णित संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र का एक प्रशासक (चाहे वह प्रशासक या उप-राज्यपाल के रूप में पदाभिहित किया गया है), जो प्रत्येक अवसर पर परिषद् की अवधि के अवसान पर, चक्रानुक्रम से परिवर्तित किए जाएंगे";

(iii) खंड (घ) में "आठ", "पांच" और "तीन" शब्दों के स्थान पर क्रमश: "दो", "एक" और "एक" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) खंड (ङ) का लोप किया जाएगा;

(v) खंड (च) में "बीस" शब्द के स्थान पर "पांच" शब्द रखा जाएगा;

(vi) खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(छ) अंतरराष्ट्रीय संगठन अर्थात् कंज्यूमर इंटरनेशनल, के भारतीय सदस्यों में से उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधिगण—छ: से अधिक नहीं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(छक) उपभोक्ता संगठनों, उपभोक्ता क्रियावादियों, महिलाओं, कृषकों, व्यापार और उद्योग में से, प्रमाणित विशेषज्ञता और अनुभव सहित ऐसे प्रतिनिधिगण जो उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने में समर्थ हों—पांच से अधिक नहीं जिसमें से एक इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक क्षेत्र से होगा,";

(vii) खंड (ज) और खंड (झ) का लोप किया जाएगा।

(viii) खंड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ञ) राज्यों में उपभोक्ता मामलों के भारसाधक सचिव जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे—तीन से अधिक नहीं।",

(ख) उप नियम (4) का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियम के नियम 16 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूचियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"अनुसूची I

[नियम 3(1)(ग) देखिए]

1. पूर्वी क्षेत्र—बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों से मिलकर बनेगा।
2. पश्चिम क्षेत्र—गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों से मिलकर बनेगा।
3. उत्तरी क्षेत्र—हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों से मिलकर बनेगा।
4. दक्षिणी क्षेत्र—आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों से मिलकर बनेगा।
5. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र—अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम राज्यों से मिलकर बनेगा।

अनुसूची II

[नियम 3(1)(गक) देखिए]

संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमण और दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।"

[फा. सं. 10(1)/2006-सी पी यू]

अलका सिरोही, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 398(अ) तारीख 15 अप्रैल, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

1. सा.का.नि. 533(अ) तारीख 14-8-1991,
2. सा.का.नि. 800(अ) तारीख 30-12-1993,
3. सा.का.नि. 522(अ) तारीख 22-6-1994,
4. सा.का.नि. 605(अ) तारीख 30-8-1995,
5. सा.का.नि. 759(अ) तारीख 21-11-1995,
6. सा.का.नि. 95(अ) तारीख 27-2-1997,
7. सा.का.नि. 88(अ) तारीख 24-2-1998,
8. सा.का.नि. 175(अ) तारीख 5-3-2004,
9. सा.का.नि. 50(अ) तारीख 1-2-2005,
10. सा.का.नि. 64(अ) तारीख 10-2-2005, और
11. सा.का.नि. 67(अ) तारीख 11-2-2005,

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2006

G.S.R. 273(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the Central Government hereby makes the following rulrs further to amend the Consumer Protection Rules, 1987, namely :—

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) These rules may be called the Consumer Protection (Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 3 of the Consumer Protection Rules, 1987 (hereinafter referred to as the said rules),—

(a) (i) in sub-rule (1) (i), for the figures "150", the figures "35" shall be substituted ;

(ii) for clause (c), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(c) the Minister in-charge of Consumer Affairs of two of the States from each region as mentioned in Schedule I to be changed by rotation on expiration of the term of the Council on each occasion;

(ca) an administrator (whether designated as administrator or Lieutenant Governor), of a Union Territory, to represent a Union Territory, as mentioned in Schedule II, to be changed by rotation on expiration of the term of the Council on each occasion";

(iii) in clause (d), for the words "eight", "five" and "three", the words "two", "one" and "one" shall respectively by substituted;

(iv) clause (e) shall be omitted;

(v) in clause (f), for the word "twenty", the word "five" shall be substituted;

(vi) for clause (g), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(g) representatives of consumer organisations from amongst the Indian members of the International Organization, memely, Consumer International—not exceeding six, to be nominated by the Central Government;

(ga) representatives with proven expertise and experience who are capable of representing consumer interests, drawn from amongst consumer organisations, consumer activists, women, farmers, trade and industry—not exceeding five, one from each of the regions specified in schedule annexed to these rules";

(vii) clauses (h) and (i) shall be omitted;

(viii) for clause (j), the following clause shall be substituted, namely :—

"(j) the Secretaries in-charge of Consumer Affairs in the States to be nominated by the Central Government—not exceeding three.",

(b) sub-rule (4) shall be omitted.

3. After rule 16 of the said rules, the following schedules shall be inserted, namely :—

"SCHEDULE I

[See rule 3(1) (c)]

1. Eastern Region—to consist of the States of Bihar, Chattisgarh, Jharkhand, Orissa, and West Bengal.

2. Western Region—to consist of the States of Goa, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh and Rajasthan.

3. Northern Region—to consist of the States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Uttar Pradesh and Uttaranchal.

4. Southern Region—to consist of the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu.

5. North Eastern Region—to consist of the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura and Sikkim.

SCHEDULE II

[See rule 3(1) (ca)]

The Union Territories of the Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Lakshadweep, Pondicherry and the National Capital Territory of Delhi."

[F. No. 10(1)/2006-CPU]

ALKA SIROHI, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 398(E) dated 15th April, 1987 and subsequently amended *vide;*

1. G.S.R. 533(E) dated 14-8-1991,
2. G.S.R. 800(E) dated 30-12-1993,
3. G.S.R. 522(E) dated 22-6-1994,
4. G.S.R. 605(E) dated 30-8-1995,
5. G.S.R. 759(E) dated 21-11-1995,
6. G.S.R. 95(E) dated 27-2-1997,
7. G.S.R. 88(E) dated 24-2-1998,
8. G.S.R. 175(E) dated 5-3-2004,
9. G.S.R. 50(E) dated 1-2-2005,
10. G.S.R. 64(E) dated 10-2-2005, and
11. G.S.R. 67(E) dated 11-2-2005,

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.